राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

क्रमांक : सूप्रौ / मृआटंप / 2020 / 1496 दिनांक : 06/01/2020

कार्यालयाध्यक्ष (समस्त),
जिला जोधपुर।

विषयः– मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्ति कार्मिकों द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में।

संदर्भः– कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक – प.3(1)कार्मिक / क–2 / 2013 दिनांक 06.12.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित परिपत्र अनुसार कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 28.05.2018 के अतिक्रमण में दिनांक **31.12.2016 से पूर्व नियुक्त** ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, को निर्धारित समयावधि के पश्चात् टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने हेतु एक बारीय दो अतिरिक्त अवसर कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रदान किए गए है। इन परीक्षाओं में इन कार्मिकों के लिए कम्प्यूटर पर टंकण गति, अंग्रेजी भाषा में 20 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी में 16 शब्द प्रति मिनिट मानकर परिणाम जारी किये जाएंगे।

टंकण परीक्षा (अतिरिक्त अवसर) आयोजित करने के लिए निम्न कलेण्डर निर्धारित किया है–

क्र. सं.	अवसर	कार्यालय में परीक्षा आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि	आयोजित होने वाली परीक्षा का माह (संभावित)
01	प्रथम अवसर	31 जनवरी 2020 तक	मार्च 2020
02	द्वितीय अवसर	31 मई 2020 तक	जून 2020

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों मे पदस्थापित मृतक आश्रित कर्मचारी को संदर्भित परिपत्र के संबंध में अवगत करावे ताकि इन विशेष टंकण परीक्षाओं में मृतक आश्रित कर्मचारी **(दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त)** सम्मिलित हो सके।

टंकण परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क रू0 500 / – का नवीनतमं डिमांड ड्राफ्ट **"अनुकम्पा नियुक्ति टंकण परीक्षा" (Anukampa Niyukti Tankan Pariksha)** के नाम से कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, सूचना केन्द्र के पास, हाईकोर्ट रोड जोधपुर में जमा कराना होगा।

टंकण परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी समय–समय पर जिला स्तर से संचालित वेबसाईट **"http://jodhpur.rajasthan.gov.in"** पर अपलोड कर दी जावेगी।

नोटः– दिनांक 31.12.2016 एवं इसके पश्चात् नियुक्त सभी कर्मचारियों की टंकण परीक्षा के संबंध में वर्तमान में अपनाई जा रही कार्यवाही ही प्रचलन में रहेगी।

नियंत्रक (परीक्षा) एवं अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

क्रमांक : सूप्रौ / मृआटंप / 2020 / 1497-99 दिनांक : 06/01/2020

प्रतिलिपी :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर।
2. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
3. उपखण्ड अधिकारी जोधपुर।

नियंत्रक (परीक्षा) एवं अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

विशेष टंकण गति परीक्षा आवेदन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

1 आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार्य होगा।

2 कार्यालयाध्यक्ष के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर होने चाहिए। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्मिक का आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवेदन पत्र का परीक्षण राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर जारी परिपत्रों, निर्देशों एवं आदेशों के अनुरूप कर लिया गया है तथा कार्मिक टंकण गति परिक्षा हेतु आवश्यक पात्रता रखता है।

3 आवेदन पत्र के साथ परीक्षा शुल्क रू0 500/– का नवीनतम डी.डी/बैंकर चैक संलग्न होगा। डी.डी/बैंकर चैक **''अनुकम्पा नियुक्ति टंकण परीक्षा'' (Anukampa Niyukti Tankan Pariksha)** के नाम से बनवाया जाना है।

4 आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति स्पष्ट एवं सुपाठ्य अक्षरों में होनी चाहिए। अपूर्ण तथा अधूरे भरे हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।

5 आवेदक के पदस्थापन स्थान का नाम एवं पता पूर्ण एवं सुपाठ्य अक्षरों में अंकित होना चाहिए।

6 फोटो अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

7 आवेदन पत्र पर कर्मचारी के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए।

8 आवेदन पत्र पर कर्मचारी का पहचान चिन्ह अंकित होने चाहिए।

9 आवेदन पत्र पर टंकण का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

10 आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रवेश पत्र में प्रेषिति में आवेदक के कार्यालय का नाम एवं पूर्ण पता पिन कोड सहित लिखा जाना अनिवार्य है तथा इसकी अन्य प्रविष्टियों (नाम, पिता/पति का नाम, पद, माध्यम) की पूर्ति भी आवेदक के द्वारा ही की जानी है।

11 विभाग द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत दिनांक 31.12.2016 से पूर्व अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों को ही टंकण गति परीक्षा आयोजित की जायेगी। अन्य किसी प्रकार से नियुक्ति प्राप्त कार्मिक इस परीक्षा में सम्मिलित न हो इसकी सुनिश्चितता की जिम्मेदारी कार्यालयाध्यक्ष एवं समस्त कर्मचारी की होगी।

12 विशेष टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षार्थी को हिन्दी माध्यम में न्यूनतम 160 सही शब्द/अंग्रेजी माध्यम में 200 सही शब्द 10 मिनट में अंकित करने होंगे।

नियंत्रक (परीक्षा) एवं अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर